BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी की बाइक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाने के आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि विजयपाल पुत्र मनोहर निवासी ग्राम पाली आनन्दगढ़ी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2002 में थाना नरसैना क्षेत्र में चोरी की बाइक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाने व कागजात बनाकर चलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नरसैना पर दिनांक 21.07.2002 को मुअसं- 253/02 धारा 411/420/467/414/471 भादवि पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा दिनांक 28.07.2002 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.03.2025 को न्यायाधीश श्री विकास चौधरी (मा0 न्यायालय एसीजेएम-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विजयपाल को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर